फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

ओमप्रकाश बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 88/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि आराजी खाता संख्या 199 पुराना 6 वाके रामा मरियाडा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/8 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में सही नाम ओमप्रकाश दर्ज है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम अनुसार शुद्धि की जावे। बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा ग्राम पंचायत के लेटरपेड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रकाश के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	